

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 22/2019-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि..... (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 692 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में -

(i) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"9	किसी म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा किसी मूल ड्रामेटिक या म्यूजिकल या आर्टिस्टिक रचना से संबंधित कापी राइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट का किसी सौंगीत कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति को अंतरण करने या उसके उपयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति।	म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार की सौंगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य	सौंगीत कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति, जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हों।"

(ii) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"9क	किसी लेखक द्वारा अपने मूल	लेखक	कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित प्रकाशक:

	<p>साहित्यिक रचना से संबंधित किसी प्रकाशक को कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट का अंतरण करके या उसके प्रयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवा की आपूर्ति</p>	<p>बशर्ते की इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां कि,-</p> <p>(i) लेखक ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के तहत पंजीकरण लिया है, एवं अधिकार क्षेत्र वाले सीजीएसटी या एसजीएसटी आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो के समक्ष अनुबंध । में दिए गए प्रपत्र में, उसमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर, यह घोषणा की हो कि वह कॉलम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सेवा पर केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत केन्द्रीय कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करेगा और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार अनुपालन करेगा जैसा कि वह उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व होता है और वह ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उक्त विकल्प को वापस वापस नहीं लेगा ।</p> <p>(ii) लेखक प्रकाशक के समक्ष फॉर्म GST Inv-I में अपने द्वारा जारी किए गए इनवॉयस के अनुबंध-1। में निर्धारित घोषणा करेगा ।“</p>
--	---	--

(iii) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“15	किसी बाँडी कारपोरेट को मोटर वाहन को किराए पर प्रदान की गई सेवा	किसी बाँडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो मोटर वाहनों को किराये पर देने की सेवा पर 2.5% की दर से केंद्रीय कर का भुगतान करता है तथा	ऐसा कोई बाँडी कारपोरेट जो कर वाले भू-क्षेत्र में अव्यवस्थित हो ।

		केवल व्यापार के समान राह में इनपुट सेवा का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है ।	
16	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("SEBI") की सेक्युरिटीज लेंडिंग स्कीम, 1997 ("स्कीम") के अंतर्गत प्रतिभूतियों को उधार देने की सेवाएं ।	लेनदार अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम से पंजीकृत या अपनी ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पंजीकृत प्रतिभूति को सेबी की इस स्कीम के अंतर्गत उधार देने के उद्देश्य से किसी अनुमोदित मध्यस्थ के पास जमा करता है ।	देनदार ऐसा व्यक्ति जो इस स्कीम के अंतर्गत सेबी के द्वारा अनुमोदित किसी मध्यस्थ से प्रतिभूति को उधार लेता है ।"

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी ।

प्रपत्र

(सारणी के क्रम संख्या 9A)

(घोषणा जिसको कि, लेखक के द्वारा, किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग अथवा उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरित किए जाने या उसकी अनुमति दिए जाने के माध्यम से किसी की गई सेवा की आपूर्ति पर फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने के विकल्प के प्रयोग के लिए, 1.11.2019 से प्रभावी होने के लिए 31.10.2019 को या उससे पहले तथा किसी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होने के लिए उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पहले किया जाना है ।)

संदर्भ संख्या

तारीख

सेवा में,

.....

(अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त को संबोधित किया जाना है)

1. लेखक का नाम
2. लेखक का पता
3. लेखक का जीएसटीआईएन

घोषणा

1. मैंने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के तहत पंजीकरण ले लिया है, और मैं अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 का क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार, केन्द्रीय कर का भुगतान फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत करने विकल्प का प्रयोग करता हूं और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 (12 का 2017) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार के अनुपालन करूंगा, जैसा कि वे किसी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर लागू होते हैं;
2. मुझे यह भी पता है कि इस विकल्प को, एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह जिस वर्ष इसे स्वीकार किया गया है उस वर्ष के अगले वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक, कम से कम, वैध रहेगा ।

हस्ताक्षर

नाम

जीएसटीआईएन

स्थान

तारीख

(घोषणा जिसे इनवाँयस में उस लेखक के द्वारा की जानी है जिसने की फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग या उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरण या अनुमति दिए जाने के माध्यम से उक्त लेखक द्वारा की गई सेवा की आपूर्ति पर कर के भुगतान के विकल्प का चयन किया हो ।)

घोषणा

मैंने फॉरवर्ड चार्ज के तहत अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में सारणी के क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर केंद्रीय कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है।

[फाइल संख्या 354/136/2019- टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5/2019-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 29 मार्च, 2019, सा.का.नि 252 (अ.) दिनांक 29 मार्च, 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है ।